क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन:** (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2025 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.236,083.80 करोड़ का निवल अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) द्वारा अपेक्षित मानदंडों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने के लिए उचित कार्यप्रणाली की स्थापना की आवश्यकता होती है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी प्रणाली) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का लेखा-जोखा रखता है, जो यह भी पहचानता है कि अग्रिम अर्जक हैं या अनर्जक। भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए कुछ नीतियां भी हैं।	लेखापरीक्षा आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। मामले का इस प्रकार समाधान किया गया है: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में ऋणों का अनुमोदन, संवितरण और निगरानी पर नियंत्रण का मूल्यांकन, और आईआरएसी और प्रावधान मानदंडों और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के अनुपालन के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में उपयोग किए गए तर्क और मान्यताओं की समीक्षा शामिल थी। इसमें निम्नलिखित का मूल्यांकन और ज्ञप्ति शामिल थी: क) एप्लीकेशन की प्रणाली, अनुमोदन की प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी, ऋणों की वसूली, अतिदेय और दबावग्रस्त खातों, एनपीए की पहचान और एनपीए के लिए प्रावधान के प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। ख) अर्जक परिसंपत्तियों के नमूनों का परीक्षण किया और आरबीआई द्वारा निर्धारित आईआरएसी मानदंडों के प्रयोग का मूल्यांकन किया, ताकि उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ग) संभावित एनपीए की पहचान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की और जोखिम प्रबंधन और संबंधित नियंत्रणों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग्ड खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदमों की जांच की। घ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम और आरबीआई परिपत्रों के अनुसार लागू किए जाने वाले एनपीए और लागू लेखा मानकों से संबंधित आरबीआई की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जाँच की।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	**Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines:** (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Standalone Financial Statements) The Bank's portfolio comprises of Net Advances of Rs. 236,083.80 crores as at March 31, 2025 comprising of wholesale and retail banking. As required by Income Recognition Asset Classification (IRAC) Norms, guidelines issued by RBI and other circulars, notifications and directives issued by RBI, the Bank has classified advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines. Identification of performing and non performing advances involves establishment of proper mechanism. The bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non performing. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the bank also has certain policies for provisioning on non-performing assets.	The audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. The matter has been addressed as follows: Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. This included evaluation and understanding of the following: a)Tested the design and operating effectiveness of the key controls of the system of application, process of approval, recording, monitoring, recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA and provision for NPA. b) Tested samples of performing assets and assessed the application of IRAC norms, as prescribed by RBI, to ensure the compliance of the same. c) Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls. d) Examined the adequacy and appropriateness of disclosures as per the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
1.	बैंक के पास आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों का प्रणाली-आधारित वर्गीकरण है। चूंकि अनर्जक अग्रिमों की पहचान और अनर्जक अग्रिमों के प्रावधान के लिए उचित स्तर पर प्रबंधन का आकलन विभिन्न नियामक आवश्यकताओं का उपयोग और समग्र लेखापरीक्षा के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है।	ङ) अनर्जक परिसंपत्तियों की समय पर पहचान पर प्रणाली नियंत्रण और मैनुअल नियंत्रण। च) आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए की पहचान और आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया। छ) आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। ज) हमने एसए 600 - अन्य लेखा परीक्षक के कार्य का उपयोग करना, के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उन शाखाओं के मामलों में, जहां हमने दौरा नहीं किया है, अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/ रिटर्न और किए गए कार्य पर भरोसा किया है।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	The bank has system-based classification of non-performing assets in accordance with IRAC norms. Since the identification of Non-performing advances and provisioning of Non-performing advances requires considerable level of management estimation, application of various regulatory requirements and its significance to the overall audit, we have identified this as a key audit matter.	e) System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets. f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. h) We have relied on the reports/ returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 – Using the Work of Another Auditor.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
2.	**निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण:** (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 3 का संदर्भ लें।) निवेश को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) मे वर्गीकृत किया जाता है , जिसमे खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए रखे गए (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है। बैंक के निवेश से आय, कुल आय का 18.87% है। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं जिसमें अनर्जक निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हमने इस मद को मुख्य लेखा परीक्षा विषय के रूप में माना है।	आरबीआई परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में वर्गीकरण, मूल्यांकन, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण, संबंधित प्रक्रिया और मूल प्रक्रियाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण का संयोजन शामिल था। निवेश समझौतों/टर्म शीट्स, डील टिकट, ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स की जांच नमूना आधार पर चालू वर्ष के दौरान की गई, ताकि प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझा जा सके और वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रासंगिक स्थिति की पहचान की जा सके। निवेश के चयनित नमूने के लिए, प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके आरबीआई दिशानिर्देशों और निर्देशों के साथ सटीकता, पूर्णता और अनुपालन का परीक्षण किया गया। नमूने इस तरह से चुने गए थे कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूतियों की प्रकृति के आधार पर) कवर की गईं। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर अनकोटेड निवेशों का स्वतंत्र मूल्यांकन अभ्यास परीक्षण जांच के आधार पर किया गया। हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। एनपीआई की पहचान और आय के अनुरूप प्रत्यावर्तन तथा प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। आरबीआई के दिशानिर्देशों और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं, प्रत्येक श्रेणी में निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.	**Classification and Valuation of Investments:** (Refer Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Standalone Financial Statements) Investments are classified into Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines. Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank. Impact of Impairment assessment is having overall significance to the financial results of the Bank. Interest Income from Investment of the Bank comprises 18.87% of the total income. In view of these significant points including assessment of non-performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter	Our audit approach towards investment portfolio with reference to the RBI Circulars / directives included a combination of test of the design, implementation, and operating effectiveness of internal controls, related process and substantive procedures in relation to classification, valuation, independent price verification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Examined the investment agreements / term sheets, deal tickets, broker contract notes entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments. For the selected sample of investments, tested the accuracy, completeness and compliance with the RBI guidelines and directives by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected in such a way that all the categories of investments (based on nature of security) were covered. Carried out on test check basis independent valuation exercise of unquoted investments on the basis of prescribed procedures in terms of the RBI guidelines. We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. Assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision. Carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the RBI guidelines and directives of the RBI, selected samples from the investments in each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
2.		नमूना आधार पर निवेश पोर्टफोलियो का सत्यापन किया और आय, बिक्री पर लाभ/ हानि के निर्धारण में विभिन्न मूल विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं कीं और लाभ/ हानि को लाभ और हानि खाते में पहचानने में बैंक द्वारा लागू किए गए नियंत्रणों का परीक्षण किया। बैंक द्वारा की गई आंतरिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा आदि की रिपोर्टों की समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित किया कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में नोट्स के माध्यम से पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं।
3.	**सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा :** बैंक में जटिल सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन को संसाधित करने और रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के दिन-प्रतिदिन के संचालन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परस्पर निर्भर आईटी प्रणालियाँ और अनुप्रयोग शामिल हैं। इसके अलावा बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), ट्रेजरी समाधान, आईआरएसी और अन्य संबद्ध प्रणालियों, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं। स्वचालन के उच्च स्तर, आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, आईटी प्रणालियों के एक साथ और महत्वपूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए, उचित आईटी सामान्य नियंत्रण और अनुप्रयोग नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी आईटी प्रणालियाँ विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित रूप से, पूरी तरह से, सटीक और लगातार डेटा को संसाधित करने में सक्षम हों। इसलिए, आईटी प्रणाली नियंत्रण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है क्योंकि कोई भी नियंत्रण चूक, सत्यापन विफलता, गलत इनपुट डेटा और डेटा का गलत निष्कर्षण प्रबंधन और नियामकों को गलत रिपोर्टिंग का कारण बन सकता है।	**हमारी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:** हमने अपनी आंतरिक आईएस लेखापरीक्षा टीम को शामिल किया और वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए बैंक के आईटी संबंधित नियंत्रण वातावरण, आईटी अनुप्रयोगों की जानकारी प्राप्त की। इस उद्देश्य के लिए, हमने बैंक द्वारा लागू की गई विभिन्न आईटी नीतियों, प्रोसेस और पद्धति के संबंध में प्रोसेस ओनर्स के साथ चर्चा की। उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, बैकअप और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं, प्रणाली और साइबर सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रियाओं, कर्तव्यों का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर के समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित इन आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इस संबंध में प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं। आईटी अनुप्रयोगों पर बैंक के आईटी नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। आईटी सामान्य नियंत्रणों और विशेष रूप से तार्किक पहुँच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं का परीक्षण किया।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.		Verified Investment portfolio on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tested the controls implemented by the Bank in recognizing the profit / loss to profit and loss account. Reviewed the reports of the internal audits, concurrent audits etc. conducted by the bank. Ensured that adequate disclosures have been made by way of Notes to the financial statements as mandated by the RBI guidelines.
3.	**Information Technology Systems and Control Framework:** The Bank is having complex Information Technology environment which comprises of various interdependent IT systems and applications used in the day-to-day operations of the Bank for processing and recording large volume of transactions across various locations. Further the Bank's key fi¬nancial accounting and reporting processes are highly dependent on the Core Banking Solution (CBS), Treasury Solutions, IRAC and and other allied systems, software, network and hardware controls. Considering the high-level of automation, complexity of the IT architecture, simultaneous and significant use of IT systems, appropriate IT general controls and application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data, as expected, completely, accurately and consistently for reliable financial reporting. Hence, IT system controls have been considered as a Key Audit Matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting to the management and regulators	**Our significant audit procedures included the following:** We Involved our internal IS Audit team and obtained an understanding of the Bank's IT related control environment, IT applications relevant for the purpose of our audit of the financial statements. For this purpose, we had discussions with the process owners with respect to various IT policies, processes and procedures put in place by the Bank. Reviewed these IT policies and procedures including user management, change management, backup and recovery procedures, system & cyber security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duties, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure that these are in line with business requirements of the Bank and comply with the relevant regulatory guidelines in this regard. Tested the design and operating effectiveness of the Bank's IT controls over the IT applications. Tested IT general controls particularly, logical access, change management and aspects of IT operational controls.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
3.		प्रणाली तक पहुँच के अनुरोधों की उचित समीक्षा और उनके प्राधिकरण का परीक्षण किया गया; एक्सेस अधिकारों की आवधिक समीक्षा हेतु बैंक में उपलब्ध नियंत्रणों का परीक्षण किया; उचित अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए प्रणाली में परिवर्तन के अनुरोधों का निरीक्षण किया। आंतरिक /बाहरी आईएस लेखापरीक्षक, बैंक द्वारा नियुक्त सलाहकारों द्वारा विभिन्न विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की और उन पर विश्वसनीयता दिखाई तथा आईआरएसी ऑटोमेशन कंट्रोल सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की। उपर्युक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था। नमूना आधार पर, प्रणाली से प्राप्त परिणामों को अन्य सूचना स्रोतों के साथ सत्यापित किया; और डेटा निकालने के लिए उपयोग किए गए तर्क का परीक्षण किया। क्षतिपूर्ति नियंत्रणों या सुधारित नियंत्रणों के संयोजन का परीक्षण किया जैसे कि प्रणाली और अन्य सूचना स्रोतों के बीच मिलान और / या वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जहां आवश्यक हो, निष्पादित की गईं।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
3.		Tested that requests for access to systems were appropriately reviewed and authorized; tested controls around Bank's periodic review of access rights; inspected requests of changes to systems for appropriate approvals and authorizations. Reviewed and placed reliance on the reports of various specialised audits by internal / external IS Auditors, consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls. In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over -financial reporting. On sample basis, verified the results obtained from the systems with the other information sources; and tested logic used for extracting the data. Tested combination of compensating controls or remediated controls such as reconciliations between systems and other information sources and / or performed alternative audit procedures, where necessary

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का कैसे समाधान किया
4.	**प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :** अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण (अनुसूची 17 के नोट क्र.10 और अनुसूची 18 के नोट क्र.16) के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है। मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

Sr. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
4.	**Provisions and Contingent Liability:** Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 16 of Schedule 18) There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon; Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues. Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved.

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report Thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for other information. The other information comprises the information other than Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosure.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our Audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained during the course of audit or otherwise appears to be materially misstated.

यदि, इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस मामले में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this matter.

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय एकल विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन बैंक को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी जिम्मेदार हैं।

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's Financial Reporting process.

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के उपयुक्त हैं।

उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।

प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि हमारा निष्कर्ष यह होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी एकल लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करना।

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों के साथ संवाद करते हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंधित हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है, जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication

अन्य मामले

9 हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 682 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 को रु.79025.94 के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.6514.94 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2025 तक 32.95% अग्रिम, 48.99% जमाराशियां, 43.15% अनर्जक आस्तियों और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 22.94% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं को शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, हमारी राय, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हुई है।

Other Matters

9 We did not audit the financial statements / information of 682 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / Financial Information reflect total advances of Rs. 79025.94 crores as at March 31, 2025 and total revenue of Rs. 6514.95 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches cover 32.95% of advances, 48.99% of deposits and 43.15% of non-performing assets as at March 31, 2025 and 22.94% revenue for the year ended March 31, 2025. The Financial Statements / Information of these branches have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Branch Auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता तैयार किया गया है।

उपरोक्त परिच्छेद 7 से 9 में उल्लेखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

ख. बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और

ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पाई गईं।

11. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र..6270/08.91.001/2019-20 और उसके बाद दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषणों के साथ पठित की अपेक्षाओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क. हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

ख. वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं।

घ. खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावात्मकता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में दी गई है। हमारी रिपोर्ट, 31 मार्च, 2025 तक एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communications dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a. In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c. As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under the sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e. Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at March 31, 2025.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

12. क. हमारी राय में, बैंक द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं, जिनको हमने भेंट नहीं दी है;

ख. इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा भेंट नहीं दी गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।

ग. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है; और

घ. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

We further report that:

12. a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी **For M/s. Kirtane & Pandit LLP** **सनदी लेखाकार** **Chartered Accountants**	**कृते मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन** **For M/s. Sundaram & Srinivasan** **सनदी लेखाकार** **Chartered Accountants**	**कृते मेसर्स जी. डी आप्टे एंड कंपनी** **For M/s. G D Apte & Co.** **सनदी लेखाकार** **Chartered Accountants**	**कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी** **For M/s. Manubhai & Shah LLP** **सनदी लेखाकार** **Chartered Accountants**
एफआरएन FRN – 105215W/ W100057	एफआरएन FRN – 004207S	एफआरएन FRN – 100515W	एफआरएन FRN – 106041W/ W100136
सीए मित्तल शाह CA Mittal Shah	सीए एस. रामकुमार CA S Ramkumar	सीए एस. बी. राशिनकर CA S B Rashinkar	सीए हितेश पोमल CA Hitesh Pomal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता क्र. M No 147370	सदस्यता क्र. M No 238820	सदस्यता क्र. M No 103483	सदस्यता क्र. M No 106137
यूडीआईएन: UDIN: 25147370BMHZKZ4443	यूडीआईएन: UDIN: 25238820BMKNFV2259	यूडीआईएन: UDIN:25103483BMNANY6751	यूडीआईएन: UDIN:25106137BNGNIN5404

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 अप्रैल , 2025

Place: Pune
Date: April 25, 2025

13 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "ए"

मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी सनदी लेखाकार पांचवी मंजिल, विंग ए, गोपाल हाउस कोथरूड, पुणे – 411 038	**मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन** सनदी लेखाकार 23, सीपी रामास्वामी रोड अलवरपेट, चैन्नई – 600 018
मेसर्स जी डी आप्टे एंड कंपनी सनदी लेखाकार डी-509, नीलकंठ बिजनेस पार्क, नाथानी रोड, विद्या विहार पश्चिम, मुंबई - 400086	**मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी** सनदी लेखाकार, जी-4, केपस्टोन, चिराग मोटर के सामने, सेठ मंगलदास रोड, एलिसब्रीज, अहमदाबाद - 380 006

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 11 ई में संदर्भित) भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/ 08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट-

हमने 31 मार्च, 2025 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के साथ उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों व त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे है।

13 ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

M/s. Kirtane & Pandit LLP Chartered Accountants, 5th. Floor, Wing A, Gopal House, Kothrud, Pune- 411 038	**M/s. Sundaram & Srinivasan** Chartered Accountants, 23, CP Ramaswamy Road, Alwarpet, Chennai-600 018
M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants, D-509, Neelkanth Business Park, Nathani Rd, Vidhya Vihar West, Mumbai 400086.	**M/s. Manubhai & Shah LLP** Chartered Accountants, G-4, Capstone, Opp Chirag Motors, Sheth Mangaldas Road, Ellisbridge, Ahmedabad- 380 006

(Referred to in paragraph 11 e under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bank of Maharashtra ("the Bank") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls:

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जारी लेखापरीक्षा पर मानकों (एसए) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और उसे बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गए हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, जो नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संबंध में है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, उचित विवरण में, बैंक की आस्तियों के अंतरण और स्थिति को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and

(3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण शामिल हैं या हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की श्रेणी का ह्रास हो सकता है।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे थे।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 252 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2025, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 252 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

मेसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी **For M/s. Kirtane & Pandit LLP**	**मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन** **For M/s. Sundaram & Srinivasan**	**मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी** **For M/s. G D Apte & Co.**	**मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी** **For M/s. Manubhai & Shah LLP**
सनदी लेखाकार **Chartered Accountants**	**सनदी लेखाकार** **Chartered Accountants**	**सनदी लेखाकार** **Chartered Accountants**	**सनदी लेखाकार** **Chartered Accountants**
एफआरएन FRN – 105215W/ W100057	एफआरएन FRN – 004207S	एफआरएन FRN – 100515W	एफआरएन FRN – 106041W/ W100136
सीए मित्तल शाह CA Mittal Shah	सीए एस. रामकुमार CA S Ramkumar	सीए एस. बी. राशिनकर CA S B Rashinkar	सीए हितेश पोमल CA Hitesh Pomal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
एम क्र. M. No. 147370	एम क्र. M. No. 238820	एम क्र. M. No. 103483	एम क्र. M. No. 106137
यूडीआईएन: UDIN: 25147370BMHZKZ4443	यूडीआईएन: UDIN: 25238820BMKNFV2259	यूडीआईएन: UDIN: 25103483BMNANY6751	यूडीआईएन: UDIN: 25106137BNGNIN5404

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 अप्रैल, 2025

Place: Pune
Date: April 25 , 2025

THE ISSUER

Bank of Maharashtra, acting through its Head Office in India

Head Office

Lokmangal, 1501, Shivajinagar
Pune-411005,
Maharashtra, India

Corporate Office

134/1, Mont Claire,
Baner Pashan Link Road
Pashan,
Pune - 411021,
Maharashtra, India

Bank of Maharashtra, acting through its International Financial Services Centre Banking Unit

Unit No. 2NE (2nd Floor, North-East Side)
IFSCA HQ Building, Block-12, Zone-1, Road-1A,
GIFT City, Gandhinagar, Gujarat – 382050

ARRANGER AND DEALER

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Level 17, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong

LEGAL ADVISERS

To the Arranger and Dealer as to English law

Linklaters Singapore Pte. Ltd.
2 Central Boulevard #28-01 West Tower
IOI Central Boulevard Towers
Singapore 018916

To the Issuer as to Indian law

JSA Advocates & Solicitors
One Lodha Place, 27th Floor
Senapati Bapat Marg
Lower Parel
Mumbai – 400013
Maharashtra
India

India INX and NSE IX Listing Adviser

JSA Advocates & Solicitors
One Lodha Place, 27th Floor
Senapati Bapat Marg
Lower Parel
Mumbai – 400013
Maharashtra
India

TRUSTEE

Citicorp International Limited
40/F Champion Tower
Three Garden Road Central, Hong Kong

PRINCIPAL PAYING AGENT, TRANSFER AGENT AND (WHERE APPOINTED) CALCULATION AGENT

Citibank, N.A., London Branch

14th Floor, Citigroup Centre
25 Canada Square, Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

REGISTRAR

Citicorp International Limited
40/F Champion Tower
Three Garden Road Central, Hong Kong